

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम सुन्सुन
 मनशरी कंवर पत्नि रामेश्वर सिंह बनाम हसन सिंह पुत्र हनुमान सिंह
 किस्म मुकदमा अपील नं. 48 सं. 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.06.2022	यह अपील अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा पेश करने पर बाद जाँच प्रस्तुत हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत तलवाने पर रेस्योडेन्ट्स की रजिस्टर्ड सूची तलबी जारी हो। मिसल मातहत तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13.07.2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर सुन्सुन	
13/7/22	पजावती पेश हुई। व कील अपीलान्त उप. पजावती वास्ते मिसल तलबी दिनांक 14/8/22 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर सुन्सुन	
14/8/22	पजावती पेश हुई। व कील अपीलान्त उप. 1 P-0 साटब शप कार्य मे व्यस्य) अजावती सं रथो। की ओर से 2 डवोकेट की सुरेश सिंह किशनापत व स.दीप कुमार खेनी ने व बालतनामा पेश किया। पजावती वास्ते मिसल तलबी दिनांक 22/8/22 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर सुन्सुन	
22/8/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 19/9/22 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर सुन्सुन	
14/9/22	पजावती पेश हुई। व कील अपीलान्त उप. पजावती वास्ते मिसल तलबी दिनांक 12/10/22 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर सुन्सुन	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

12-10-2012

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 11/11/12 को पेश हो

4/11/12

पजावती पेश हुई (वकील अपील अपील उप.) अधिवक्ता न्यायलय की पजावती प्राप्त हुई जो शांति कि 12/12, रेस्पोंडेंट वकील में पत्रावली में बयान शर्तें गरी अपील व कीत बयान हेतु समग्र बादा गया। पजावती वकील बयान दिनांक 7/11/12 को पेश हो

7/11/12

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता न्यायलय की पजावती प्राप्त की। आदेशानुसार दिनांक 10/11/12 को पेश हो।

नाट्य पेश

10/11/12

पजावती पेश हुई। विधान अधिवक्ता उभयपक्ष उपा विधान अधिवक्ता अपील की कथन है कि वे इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अपील को विना करता हूँ ऐसी स्थिति में अपील अपील विना के आधार पर खारीज की जाती है। आदेश सुनाया गया। पजावती केसल शर्तें होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बादा वकील पावता शांति दफ्तर हो

अति. जिला कलेक्टर
मुहान